सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 51/14 **निर्णय दिनांकः 10—07—2019**

1. मनम्मत नारायण पुत्र सरजूनारायण जाति ब्राहमण निवासी ईदगाह बारी के अन्दर, बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. विरेन्द्र कुमार पुत्र पूनमचन्द जाति बोथरा निवासी गंगाशहर, बीकानेर।
2. नगर विकास न्यास, बीकानेर जरिये सचिव।
3. तहसीलदार राजस्व, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

4. सीताराम पुत्र अमरूराम जाति सुथार निवासी पाबु चौक गंगाशहर, बीकानेर।

—गौण रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 10—02—2014
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दाऊलाल हर्ष, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 10—02—2014 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा ग्राम किसमीदेसर स्थित गत् खसरा नम्बर 644/189 की 20 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 672/187 की 7 बीघा 5 बिस्वा कुल 27 बीघा 8 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 सीताराम के पूर्वजों के समय से खातेदारी भूमि चली आ रही है। दौराने सेटलमेंट उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 454 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 486 रकबा 2.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 1154/404 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 1155/487 रकबा 0.39 हेक्टर भूमि के रूप में पैमूद हुए। उक्त भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा सेटलमेंट से पूर्व ही किया जा चुका है तथा अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का कुछ भू–भाग उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर से रूपान्तरण करवा कर जरिये प्लॉटिंग विक्रय की जा चुकी है। जिसके पट्टे भी नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा जारी किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में उक्त रूपान्तरणशुदा भूमि के बाबत् सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं होने पर भी उनके द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि रूपान्तरण के उपरान्त आवासीय रूप ले चुकी है तथा चारों और मकान निर्मित हो चुके है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं रही है। उक्त तमाम स्थिति अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदारान का कब्जा होता तो वे लोग उसी समय अपनी भूमि पर कब्जा खाली करवाने हेतु कार्यवाही करते लेकिन उन्होनें कोई कार्यवाही नहीं की। अपीलांट को खरीददार है उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि विक्रेता कौनसी भूमि पर काबिज है केवल मात्र कागजी इन्द्राज के आधार पर अपीलांट का तंग व परेशान करने की नीयत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोई की गई ह। जिसका उन्हें कतई अधिकार हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आगे कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिससे साबित था कि रेस्पोडेन्ट का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। ऐसस्थिति में केवल मात्र कागजी आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौके की वास्तविक स्थिति के बाबत् भी निवेदन किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तरफ कोई गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20—06—2019 को हिदायत पैरवी नहीं होने के कारण अपना पक्ष रखने से इंकार किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि का स्वरूप कृषि भूमि नहीं होने से राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया आदेश है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि वाके रोही मौजा ग्राम किसमीदेसर स्थित गत् खसरा नम्बर 644/189 की 20 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 672/187 की 7 बीघा 5 बिस्वा कुल 27 बीघा 8 बिस्वा भूमि जिसके दौराने सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 454 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 486 रकबा 2.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 1154/404 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 1155/487 रकबा 0.39 हेक्टर भूमि के रूप में पैमूद हुए। के वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

इसके विपरीत अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई राजस्व दस्तावेजी साक्ष्य ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे साबित होता हो जोकि अपीलांट का खसरा नम्बर 485 पर अपना कोई टाईटल साबित करता हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार मानते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत पर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने व वादगत् भूमि को दावे के निर्णय तक रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है क्योंकि वादगत् भूमि पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रिकार्डेड खातेदार के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की है। लिहाजा परीक्षण न्यायालय का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक कलेक्टर, बीकानेर का आदेश दिनांक 10—02—2014 यथावत बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर